मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

पत्र संख्या /पीएसएमएस/2011
दिनांकः 22 सितम्बर, 2011
पत्रांक :- एड्स सोसा०/BS/VBDDay/677.C./2011-12/13580

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 01 अक्टूबर 2011 के सम्बन्ध में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु विशेष गतिविधियों का आयोजन।

महोदय,

01 अक्टूबर प्रतिवर्ष पूरे देश में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। **उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी** द्वारा उत्तर प्रदेश में भी प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर को "**स्वैच्छिक रक्तदान दिवस**" पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं।

भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष राष्ट्रीय रक्तदान दिवस एक मासिक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है जिसमें पूरे अक्टूबर माह में विभिन्न सहयोगी संगठनों का सहयोग लेते हुए 25 बार से ज्यादा रक्तदान कर चुके रक्तदाताओं का सम्मान किया जाए एवं स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार, संगोष्ठी आदि आयोजित कर समाज के विभिन्न वर्गो खासकर युवा वर्ग को इस अभियान में जोड़ा जाए। पूरे अक्टूबर माह में अधिक से अधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का संचालन किया जाए। इस वर्ष राष्ट्रीय रक्तदान दिवस/माह की विषय वस्तु **"Donate blood and save four lives"/"एक रक्तदान बचाए चार जान"** है। मासिक स्वैच्छिक रक्तदान अभियान का लक्ष्य सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है।

प्रदेश में विभिन्न स्तर पर किए गए अथक प्रयासों के बाद भी स्वैच्छिक रक्तदान को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। गत वर्ष स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत मात्र 45 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य 90 प्रतिशत से बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण कदाचित रक्तदान से सम्बन्धित प्रचलित भ्रान्तियां हैं अथवा जन सामान्य में अपेक्षित जागरूकता का अभाव है। प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान को गति प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए एक कार्य योजना बनाकर विभिन्न गतिविधियां सम्पन्न कराई जाएं।

- कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18-60 वर्ष के बीच हो रक्तदान कर सकता है तथा एक स्वस्थ व्यक्ति समान्यतः तीन माह के अन्तराल में रक्तदान कर सकता है।

- रक्तदान में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है।
- रक्तदान उपरान्त रक्त बनने में तीव्रता आती है तथा निकाले गए रक्त की शीघ्र तथा शरीर में स्वतः आपूर्ति हो जाती है।

रक्तदान निम्नलिखित स्थानों में किया जा सकता है-

- उन राजकीय चिकित्सालयों में जहाँ रक्तकोष की सुविधा उपलब्ध है।
- स्वैच्छिक रक्तकोष जैसे रेड क्रॉस या अन्य लाइसैन्स प्राप्त रक्तकोष।
- अधिकृत स्वैच्छिक संस्थानों जैसे रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब आदि द्वारा संचालित रक्तदान शिविर।

स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की सफलता के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है:-

1. कार्ययोजनाः

कार्य योजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाए:-

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दो अन्तर्विभागीय बैठकों का आयोजन किया जाए, जिसमें सरकारी विभागों (पंचायती राज, नगर विकास, डूडा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिफ्सा, महिला कल्याण आदि), प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं, लॉयन्स एवं रोटरी क्लब, रेडक्रॉस, एन.सी.सी., एन.एस.एस., नेहरू युवा केन्द्र, आई.एम.ए., रेलवे, पुलिस, होमगार्ड, पी.ए.सी., सेना एवं अन्य संस्थाओं (चर्च के बिशप, गायत्री परिवार, गुरूद्वारा कमेटी, ब्रह्मकुमारी, आर्य प्रतिनिधि सभा, मुस्लिम धर्मगुरू) इत्यादि तथा स्थानीय स्तर पर वे संस्थाएं जो इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकें की भागीदारी हो।
- युवा वर्ग को स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के समस्त सरकारी/गैरसरकारी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थानों में स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर चर्चा-परिचर्चा आदि करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रतीक चिन्ह जैसे चाभी का गुच्छा, पेन व स्वैच्छिक रक्तदान का एक प्रमाण-पत्र भी दिया जाए।
- प्रचार-प्रसार हेतु जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाए।
- स्वैच्छिक रक्तदान हेतु दीवार लेखन के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाए।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी रक्तकोष द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की समय सारिणी बनायी जाए। 01 अक्टूबर तथा 15 अक्टूबर को वृहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन रक्तकोष पर किया जाए।
- मुख्य चिकित्साधिकारी विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न स्थानों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कम से कम 04 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित कराएं।

- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का उत्तरदायित्व होगा कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर पर आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय दल, कन्ज्यूमेबिल, रीएजेन्टस, कोल्ड बॉक्स इत्यादि का प्रबन्ध ससमय करवाएं तथा रक्तदान शिविर हेतु चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ की व्यवस्था तथा रक्तकोष के सभी उपकरण एवं जैनरेटर को क्रियाशील रखना सुनिश्चित करें।
- शिविर के पूर्व जीवन रक्षक औषधियों (म्उमतहमदबल क्तनहे) की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।
- जिन जनपदों में राजकीय रक्तकोष नहीं हैं, उनके मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा निकटस्थ राजकीय रक्तकोष के प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए शिविरों का आयोजन किया जाए।

2. प्रचार-प्रसारः

- प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा गैर सरकारी संस्थाओं, क्लबों, अध्यापकों एवं प्रधानों के माध्यम से जनता में कराया जाए।
- माह सितम्बर, 2011 के अन्तिम सप्ताह में एच.आई.वी./एड्स पर निम्न का आयोजन कराया जाए।

  अ. वाद-विवाद प्रतियोगिता। ब. चित्रकला प्रतियोगिता।

  स. रैली। द. विशिष्ट प्रवक्ताओं के साथ संगोष्ठी।
- रेडियो, प्रेस एवं टी.वी. के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान विषय पर वार्ता एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं।

3. पर्यवेक्षणः

- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रभारी रक्तकोष रक्तदान शिविरों के सफल संचालन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन कराएंगे।
- मण्डलीय अपर निदेशक-स्वास्थ्य, अपने मण्डल क्षेत्र में स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के संचालन तथा उनके अधीन जनपदों के एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही वह उक्त दिवसों पर जनपदों का भ्रमण कर समीक्षा भी करेंगे।
- राज्य स्तर से समय-समय पर निदेशालय एवं उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के अधिकारी जनपदों का भ्रमण कर समीक्षा करेंगे।

4. गतिविधियां:

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर/अभियान के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी का दृढ़ता से पालन किया जाए:-

क्र. सं.	कार्यवाहियां	उत्तरदायी अधिकारी
1	जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय बैठक का आयोजन एवं स्वैच्छिक रक्तदान हेतु कार्य योजना तैयार करना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी रक्तकोष
2	अन्य विभागों एवं स्वयंसेवी संगठनों एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर के साथ बैठक करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की कार्ययोजना बनाना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ रक्तकोष प्रभारी
3	स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ाने हेतु, विविध कार्यक्रम जैसेः जागरूकता प्रदर्शनी, रैली एवं वाद-विवाद आदि का आयोजन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी
4	आउटरिच स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों (तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर) का आयोजन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी/
5	संग्रहित रक्त के भण्डारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। ब्लड बैग कन्ज्यूमेबिल एवं रीएजेन्टस की व्यवस्था।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी रक्तकोष
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले रक्तदान शिविरों हेतु चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मचारियों को आवश्यक संख्या में नामित करना	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
7	रक्तदान शिविर हेतु वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करना	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

5. रिपोर्टिंगः

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी क्रमशः 05 अक्टूबर व 05 नवम्बर, 2010 तक स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की विस्तृत रिपोर्ट फैक्स/कोरियर द्वारा उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को प्रेषित करेंगे जिसमें यह अंकन भी करेंगे कि प्रत्येक शिविर में कितना स्वैच्छिक रक्त संग्रह किया गया।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस अभियान की रणनीति के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर उसे पूर्णरूपेण क्रियान्वित किए जाने की समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि स्वैच्छिक रक्त संग्रह को बढ़ाया जा सके।

कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने जनपद में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस/अभियान का सफल आयोजन सुनिश्चित कराने का कष्ट कराएं।

संलग्नकः रक्तकोषों का मासिक लक्ष्य।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ।
3. समस्त, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त रक्त कोष प्रभारी।

आज्ञा से,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव